शीर्ष प्राथमिकता/ समयबद्ध

संख्या-16 /2018/ए-1-1144/दस-2018-10(25)/2007

प्रेषक,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,

1018- जवाहर भवन लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2018

विषय : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ई-कुबेर प्रणाली को प्रदेश के शेष कोषागारों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 2403/कम्प्यू0/150/ई-रिसीट/को0नि0/2018, दिनांक 17-09-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-11/2018/ए-1-683/दस-2018-10(25)/2007, दिनांक 07-06-2018, शासनादेश संख्या-12/ 2018/ए-1-713/दस-2018-10(25)/2007, दिनांक 18-06-2018 एवं संख्या-15/ 2018/ए-1-1067/दस-2018-10(25)/2007, दिनांक 07-09-2018 द्वारा प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों के कोषागारों सहित कुल 31 कोषागारों में ई-कुबेर की व्यवस्था लागू की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका में उल्लिखित कोषागारों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों से चरणबद्ध रूप में ई-कुबेर की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)	कोषागार	उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, महाराजगंज, कुशीनगर (पडरौना), देवरिया, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, शाहजहॉपुर। (15 कोषागार)	दिनांक 11-10-2018
(2)	कोषागार	पीलीभीत, बदॉयू, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कासगंज, एटा, हाथरस, इटावा, औरैया, ललितपुर, जालौन (उरई), इलाहाबाद सि0ला0 (15 कोषागार)	दिनांक 11-11-2018
(3)	कोषागार	मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, शामली, सम्भल, हापुड, बागपत, सीतापुर, लखीमपुर, विधान सभा उ0प्र0 लखनऊ, जवाहर भवन लखनऊ, राज्यपाल सचिवालय	दिनांक 11-12-2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2: इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

		उ0प्र0 लखनऊ, भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली (19 कोषागार)	

अत: तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 16/2018/ए-1-1144 (1) / दस-2018-10(25)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक/एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2: इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।